

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2533

दिनांक 04 अगस्त 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

चण्डीगढ़ में आईएस/आईपीएस के लिए मंजूर पदों की संख्या

+2533. श्री मनीश तिवारी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 2025 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में आईएस और आईपीएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) संवर्ग-बाह्य या अस्थायी पदों पर आसीन अधिकारियों सहित वर्तमान में चण्डीगढ़ में तैनात आईएस और आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) वर्तमान में चण्डीगढ़ में सेवा दे रहे पंजाब और हरियाणा सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आए आईएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(घ) चण्डीगढ़ में इतनी अधिक संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को बनाए रखने का क्या औचित्य है, विशेषकर तब जब पंचकुला और मोहाली जैसे समीपवर्ती जिलों में अपेक्षाकृत काफी कम संख्या में प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय विवेक सुनिश्चित करने के लिए चण्डीगढ़ में प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने और उसे युक्तिसंगत बनाने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): संबंधित वर्तमान संवर्ग संख्या विनियमावली के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 तथा भारतीय पुलिस सेवा के 7 पद स्वीकृत हैं।

(ख) और (ग): वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 और भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारी तैनात हैं। इनमें से, पंजाब संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारी

और भारतीय पुलिस सेवा का 1 अधिकारी तथा हरियाणा संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा का 1 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर चंडीगढ़ में तैनात हैं।

(घ) और (ङ): केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की आवश्यकताओं के आधार पर कार्य के सुचारू संचालन हेतु अधिकारियों की संख्या निर्धारित की जाती है, और यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित एजीएमयुटी संवर्ग की पद संख्या एवं संरचना की समीक्षा अथवा युक्तिसंगतकरण का कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।
